आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या :47 / 2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक विशेष खुदरा ऋण शाखा (एसआरएलबी) 43–45, विवेक विहार कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

(1) ऋण खाता (अ) खाता नं॰14051300000047 (ओ पी डी लोन)

अ. मैसर्स करणी ट्रेडर्स प्रो॰ श्री रमेशदान सिंह पुत्र श्री बुद्वदान सिंह (ऋणी)
मकान नं॰ 89, रणजीत नगर, खातीपुरा, जयपुर ।

ब. श्रीमती विमला कंवर पत्नी श्री रमेशदान सिंह (गारन्टर)
मकान नं॰ 89, रणजीत नगर, खातीपुरा, जयपुर ।

स श्री देवी सिंह पुत्र रणजीत सिंह (गारन्टर)
मकान नं॰ 302, जसवन्त नगर, खातीपुरा, जयपुर एवं
मैसर्स लक्ष्य एन्टरप्राईजेज युनिट नं॰ जी–5, प्लाट नं॰ 114, चांद बिहारी नगर, खातीपुरा, जयपुर ।

द. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह (गारन्टर)
मकान नं॰ 305, कृष्ण कुंज, कालवाड रोड, झोवाडा, जयपुर एवं
प्लाट नं॰167 चांद बिहारी नगर, खातीपुरा, जयपुर ।

(2) ऋण खाता (ब) खाता नं॰ 14051200000199 (एल ए पी लोन)

अ श्री रमेशदान सिंह पुत्र श्री बुद्वदान सिंह (ऋणी)
मकान नं॰ 89, रणजीत नगर, खातीपुरा, जयपुर ।

ब. श्रीमती विमला कंवर पत्नी श्री रमेश दान सिंह (गारन्टर)
मकान नं॰ 89, रणजीत नगर, खातीपुरा, जयपुर।

स. श्री देवी सिंह पुत्र रणजीत सिंह (गारन्टर)
मकान नं॰ 302, जसवन्त नगर, खातीपुरा, जयपुर ।

द. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह (गारन्टर)
मकान नं॰ 305, कृष्ण कुंज, कालवाड रोड, झोवाडा, जयपुर एवं
प्लाट नं॰167 चांद बिहारी नगर, खातीपुरा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :– श्री संजय सिंह राजावत अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

Scanned by CamScanner

आदेश दिनांक 25.08.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.03.2016 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी रमेश दान सिंह पुत्र श्री बुद्वदान सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नं. 89, रणजीत नगर, खातीपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 178.33 वर्गगज को बन्धक कर राशि ऋण खाता (अ) में 25,00,000/–रूपये व ऋण खाता (ब) में 15,00,000 इस प्रकार कुल 40,00,000/– रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.10.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति व इससे सम्बन्धित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 40,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 31,16,688/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.10.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी रमेशदान सिंह पुत्र श्री बुद्वदान सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नं. 89, रणजीत नगर, खातीपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 178.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned by CamScanner

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/8/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर

Scanned by CamScanner